

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

4

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67/2020 राजस्व अपील

1. मीठालाल उम्र 64 वर्ष पुत्र बिहारीलाल
 2. महेन्द्र उम्र 32 वर्ष पुत्र नहनूराम
 3. दिलीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गिरांज
- समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रायपुरा
तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 31.08.2020 मुकदमा नम्बर
243/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मीठालाल अ0 धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 17.02.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय के खसरा नं. 117 रकबा 0.30 है. पर सम्वत 2077 खरीफ में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व पूर्व बेदखली का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत हुए बिना दिनांक 31.08.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट्स को उक्त भू-भाग से बेदखल करने के साथ पेनल्टी एवं 60 दिन के सिविल कारावास सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त निर्णय दिनांक 31.08.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मीठालाल ने उपस्थित होकर स्पष्ट बताया था कि अपीलान्ट्स का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। फिर भी पीठ पीछे इकतरफा में अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये



अति. जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 67/2020 राजस्व अपील

बिना यह निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने पूर्व बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ना ही पूर्व बेदखली का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। कानूनन जब तक पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध नहीं हो तब तक सजा जैसा कठोर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और ना ही पटवारी हल्का से जिरह का कोई मौका दिया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 31.08.2020 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नले की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.30 है. पर बाजरे की फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.08.2020 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है जो कि बार-बार अतिक्रमण कर लेता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नले की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.30 है. पर बाजरे की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर पेनल्टी आरोपित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.08.2020 को बेदखली के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2020 सरकार बनाम मीठालाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शमांर होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा



निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा